भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोच्चिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant **An IS 15700 certified Custom House**

Website: www.cochincustoms.gov.in **Control Room: 0484-2666422**
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in **Fax: 0484-2668468**
Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र सं.CIRCULAR.No.09/2019

विषय: स्थायी व्यापार सुविधा समिति की दिनांक 20.08.2019 को हुई बैठक का कार्यवृत्त-संबंधित।
Sub: Permanent Trade Facilitation Committee- Minutes of the meeting held on 20.08.2019 - Reg.

****

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की बैठक दिनांक 20.08.2019 को 3.00 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचीन के सभा गृह में आयोजित की गई। श्री मोहम्मद युसुफ़, भा. रा. से., आयुक्त महोदय ने बैठक की अध्यक्षता की।

Meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 3.00 pm on 20.08.2019 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Mohd Yousaf, IRS, Commissioner, chaired the meeting.

निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। श्री/श्रीमती/सुश्री
The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

1. मोहम्मद युसुफ, भा. रा. से., आयुक्त Mohd Yousaf, IRS, Commissioner
2. डॉ. जे. हरीश, भा. रा. से., संयुक्त आयुक्त Dr. J. Harish, IRS, Joint Commissioner
3. एम. वसंतागेशन, भा. रा. से., संयुक्त आयुक्त M. Vasanthagesan, IRS, Joint Commissioner
4. डॉ. राजी एन एस. भा. रा. से., उपआयुक्त Dr.Raji N S, IRS,Deputy Commissioner
5. साबू सबैस्टियन, भा. रा. से., सहायक आयुक्त Sabu Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
6. फिलिप सबैस्टियन, भा. रा. से., सहायक आयुक्त Phillip Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
7. जोसेफ सबैस्टियन, भा. रा. से., सहायक आयुक्त Joseph Sebastain, IRS, Assistant Commissioner
8. भुवनचंद्रन पी, वैज्ञानिक 'ई', एन आई सी Bhuvanachandran P, Scientist E', NIC
9. बैजू डेनियल, मूल्यनिरूपक अधिकारी Baiju Daniel, Appraising Officer
10. प्रशांत के सी एस , सीमाशुल्क अधीक्षक Prasanth K.C.S, Superintendent of Customs, Authorized Officer, CSEZ.

व्यापार तथा व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि सुश्री/ श्री
The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. राज विनोद, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट Raj Vinod P, Cochin Port Trust
2. जे. एस. मंजूनाथ, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, J.S. Manjunath, Cochin Port Trust

3. टी. चंद्रशेखरन, कॅयर बोर्ड T. Chandrasekharan , Coir Board
4. एस एस सिंधु, वनस्पति संगरोध S S Sidhu, Plant Quarantine
5. मनोज, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, Manoj, Cochin International Airport
6. जोसफ, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, Joseph, Cochin International Airport
7. अब्राहम फिलिप, इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री Abraham Phillip, Indian Chamber of Commerce & Industry
8. राजीव एम सी, एफ आई ई ओ, Rajeev M C, FIEO
9. एन एन मेनन, ट्रेड ट्रैक N N Menon, Trade Track
10. दिपिन कोय्यथ, आई जी टी पी एल Dipin Koyyath, IGTPL
11. बिजू आर, सी एफ एस, पेट्टा Biju R, CFS, Pettah
12. वी वीरा राघव, सी एफ एस, जी डी के एल V Veera Raghav, CFS, GDKL
13. टी के बिजू, सी एफ एस , सी पी टी T K Biju, CFS, CPT
14. जोसमन एम.डी., सी एफ एस, के एस आई ई Josemon M.D., CFS, KSIE
15. ए ए फर्नांडेज़, कोचीन सीमाशुल्क ब्रोकर्स असोसिएशन A A Fernandez, Cochin Customs Brokers Association.
16. एलन जोस, कोचीन सीमाशुल्क ब्रोकर्स असोसिएशन, Alan Jose, Cochin Customs Brokers Association.
17. के. श्रीकुमार, सहायक प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक K. Sreekumar, Asst. Manager, Reserve Bank of India
18. बी एन झा, मसाला बोर्ड, कोच्ची B N Jha, Spice Board Kochi.
19. पी एस सोल्नेराई, कंसोलिडेटर असोसिएशन ऑफ इंडिया P S Sclnerai, Consolidators Association of India.
20. के. मोहन कुमार, कंसोलिडेटर असोसिएशन ऑफ इंडिया ,K. Mohan Kumar, Consolidators Association of India.
21. वी विनोद, समुद्री उत्पाद निर्यात एवं विकास प्राधिकरण V Vinod, Marine Products Export Development Athority.
22. बी वेणु, टेक्सटाईल्स कमिटी B. Venu, Textiles Committee.

अध्यक्ष ने बैठक के सभी सदस्यों का स्वागत किया। जैसा कि यह अध्यक्ष महोदय की इस सीमाशुल्क गृह में पी टी एफ सी की पहली बैठक थी उन्होंने अपना परिचय दिया तथा सीमाशुल्क के अधिकारियों तथा हितधारकों का परिचय प्राप्त किया। तत्पश्चात पिछली बैठक के कार्यवृत्त तथा उसमें उठाए गए बिंदुओं के संबंध में की गई कार्रवाई पर चर्चा की गई।

अध्यक्ष ने पिछली पी टी एफ सी बैठक के कार्यवृत्त के **बिंदु संख्या 3. एम ई आई एस लाभ – शिपिंग बिलों में डी जी एफ टी को प्रस्तुत करते समय गलती से 'N' के स्थान पर 'Y' दर्शाने तथा बिंदु 7. सी सी बी ए सदस्यों द्वारा कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने** के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। अध्यक्ष ने हितधारकों को आश्वस्त किया कि वे इस मुद्दें पर ध्यान देंगे तथा इन सभी मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तत्पश्चात इस बैठक के लिए नए मुद्दें उठाए गए।

The Chair welcomed the members to the meeting. Since the Chair has first PTFC in this Customs House so introduced himself and asked other Customs Officials and stakeholders to introduce themselves. Thereafter the minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration.

The Chair sought clarifications on the minutes in respect of **Point 3. "MEIS benefits — shipping bills erroneously mentioned as instead of 'Y' while submitting to DGFT"** and **Point 7. "Show cause notices received by CCBA members"** of last PTFC minutes .The chair assured the stakeholders that he would look into the issues and all suitable actions would be taken to sort out all outstanding issues. Thereafter fresh points were taken up for this meeting

चर्चा हेतु नए मुद्दें *FRESH POINTS FOR DISCUSSION.*

कोचीन सीमाशुल्क ब्रोकर संघ के द्वारा उठाए गए मुद्दें नीचे दिए गए हैं:

बिंदु 1. आई सी टी टी में कंटेनर स्कैनिंग

डी पी वर्ल्ड में कंटेनर स्कैनर दिसंबर 2018 से प्रारंभ किया गया तथा स्कैनर आई सी टी टी वल्लारपाडम में स्थित है। सार्वजनिक सूचना सं :39/2018 दिनांक 26/11/2018 के बिंदु संख्या 5. के अनुसार स्कैनिंग की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की गई। बिंदु सं. 5.1 के अनुसार स्कैनिंग के लिए दस्तावेजों को सीमाशुल्क हवलदारों द्वारा संग्रहित कर इसे चेक इन केबिन में स्थित अधिकारी को दिया जाएगा तथा यह स्पष्ट है कि चालक को गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है।

वर्तमान में कुछ अनाधिकृत व्यक्ति सीमाशुल्क/आई सी टी टी के प्रांगण में स्कैनिंग के लिए आए कंटेनरों से पार्किंग के बहाने नकद की वसूली कर रहे हैं। कोचीन में संघ ने दावा किया उनके चालकों ने शिकायत की है कि स्कैनिंग के पश्चात वे कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं, जिसमें आगे केरल राज्य क्षेत्रीय संयुक्त मजदूर संघ की मध्यस्थता हुई। उन्होंने सीमाशुल्क, ए ई आर सी तथा अन्य नामी एजेंसियों तथा यहाँ तक कि डॉक्टरों के द्वारा इसे सुरक्षित बताए जाने के बावजूद भी दावा किया कि ये चालकों के स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि इस तरह के स्कैनर अन्य सीमाशुल्क स्टेशनों पर भी लगाए गए है तथा चालकों के स्कैनर से पार होने पर ऐसी कोई समस्या नहीं पाई गई है।

हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस मुद्दें पर तत्काल जाँच करें तथा ई एक्स आई एम कार्गो के कार्य संपादन लागत में कोई बढ़ोतरी किए बिना जो कि व्यापार को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, उसके सरल एवं सुरक्षित संचालन की व्यवस्था कराएं।

a) चालकों के मन में स्थित किसी भी संदेह को दूर करने के लिए आई सी टी टी में स्थापित स्कैनर के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश / अनुमोदन प्रकाशित करें।
b) चालकों के सामान्य उपयोग के लिए सुरक्षा गियर प्रदान करने की व्यवस्था / निर्देश दिए जाए, जो स्कैनर द्वारा प्रवेश स्थल पर उनके द्वारा लिया जाए और जब चालक स्कैनिंग रिपोर्ट प्राप्त करता है तो उसे वापस दे दिया जाए।
c) यह सुनिश्चित करें कि चालक अन्य अनधिकृत व्यक्तियों के हस्तक्षेप के बिना स्कैनर से होकर जा सकें तथा उन पर इस प्रकार का प्रतिबंध न हो।
d) वाहन के चालक के अलावा किसी भी अन्य को सीमाशुल्क पास के बिना स्कैनिंग क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाएं।
e) हम सीमाशुल्क से अनुरोध करते हैं कि स्कैनिंग स्टेशन के प्रवेश स्थल पर आवश्यक कर्मचारी तैनात करें जैसा कि सार्वजनिक सूचना संख्या: 39/2018 में दिया गया है।
f) आई सी टी टी में सीमाशुल्क क्षेत्र में नकद की वसूल करने वाले अनधिकृत व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएं।

Points raised by The Cochin Customs Broker's Association are reproduced as below:

Point 1. CONTAINER SCANNING AT ICTT

The container scanning at DP World started during December 2018 and the scanner is situated in ICTT Vallarpadam. As per the Public Notice No:39/2018 dtd 26/11/2018, under point No: 5 the procedure for scanning of the containers is clearly laid out. As per point 5.1, the documents for scanning has to be collected by the Customs Havildar and given to the officer at the check-in cabin and it is understood that the driver should not alight from the vehicle.

Currently some unauthorised persons are collecting cash in the Customs /ICTT premises in the pretext of valet driving for scanning containers. In Cochin the Unions claim that their drivers were complaining

they are having some health issues after scanning, which led to the interference of the Kerala State Regional Joint Labour Commissioner. They claim that the scanning is detrimental to the health of the drivers inspite of the Customs, AERC and other reputed agencies and even Doctors certifying that it is safe. We wish to draw your attention that these types of scanners are fitted in other Customs stations also and there is no problem for the drivers to go through the scanners like this.

We request you to urgently look into this matter and arrange to do the following for smooth and safe handling of EXIM cargo without any increase in the transaction cost which will affect the Trade negatively.

a) Publish the safety guidelines / approvals for the scanner installed in ICTT to clear any doubts in the minds of drivers.

b) Arrange / Instruct to provide safety gear for the general use of drivers which can be collected by them at the entry point of the scanner and returned when the driver collects the scanning report.

c) Ensure that the drivers are not restricted from driving through the scanners themselves without any interference from other unauthorised persons.

d) Not to allow anyone without Customs pass other than the driver in the vehicle to enter the scanning area.

e) We request Customs to post necessary staff at the entry of the scanning station as laid out in the Public Notice No: 39/2018.

f) Take punitive action against the unauthorised persons collecting cash at the Customs area in ICTT.

<u>चर्चा नीचे के रूप में की गई है :</u>

सीमाशुल्क ब्रोकरों के प्रतिनिधियों से समस्या की पहचान करने और उस मामले में सीमा शुल्क की भूमिका निर्धारित करने के लिए एक सार प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया।

श्री एलन जोस ने कहा कि व्यापार को ड्राईव थ्रू कंटेनर स्कैनर के माध्यम से कंटेनरों की आवाजाही के संबंध में चालकों और अन्य व्यक्तियों को डराने और धमकाने वाले लोगों के एक वर्ग के हस्तक्षेप के कारण स्कैनिंग के लिए चुने गए कंटेनरों की आवाजाही के संबंध में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं इत्यादि का हवाला देते हुए चालकों को भड़का रहे थे। उन्होंने अध्यक्ष और सीमा शुल्क विभाग से अनुरोध किया कि वे इस मामले में सक्रिय भूमिका निभाएँ और मुद्दों को हल करें।

भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री अब्राहम फिलिप ने सीमाशुल्क ब्रोकर एसोसिएशन द्वारा बताए गए मुद्दों को सहमति दी। उन्होंने इस मुद्दे पर अध्यक्ष द्वारा हस्तक्षेप करने और मामले को सुलझाने के लिए अनुरोध किया क्योंकि यह आयातकों पर अनावश्यक रूप से वित्तीय बोझ बढ़ाता है और विलंब भी करवाता है।

अध्यक्ष ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि, वास्तविक संदेहों को दूर करने के लिए आई सी टी टी में स्थापित स्कैनर के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश / अनुमोदन को द्विभाषी या त्रिभाषी में प्रकाशित किया जा सकता है। अध्यक्ष ने सदस्यों को यह भी सूचित किया है कि, वे उत्पाद के विनिर्देश और लोगों पर विकिरण के संभावित प्रभाव से अवगत हैं। चालकों की ओर से उठाई गई समस्याएं जैसे कि मतली, उल्टी आदि असंतुलित और असत्यापित लगता है। विकिरण के संपर्क के दीर्घकालिक प्रभाव के परिणामस्वरूप व्यक्तियों में ये लक्षण प्रकट होते हैं। । पोर्ट में स्थापित ड्राइव थ्रू कंटेनर स्कैनर को ए ई आर सी और अन्य सक्षम एजेंसियों द्वारा सुरक्षित माना गया है।

श्री एलन जोस, सी सी बी ए, ने अध्यक्ष की अनुमति के साथ कहा कि आर जे एल सी के साथ पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सी एफ एस द्वारा पैनल के चालकों को एक निर्दिष्ट राशि का भुगतान किया जाएगा, जो कंटेनरों को स्कैनिंग के लिए ले जाने में नियोजित होंगे। यह कहा गया कि सी सी बी ए को

उक्त बैठक का कार्यवृत्त प्राप्त नहीं हुआ। आर जे एल सी के साथ तीसरी बैठक में यह बताया गया कि मैसर्स जी डी के एल सी एफ एस और मेसर्स एम आई वी सी एफ एस ने स्कैनिंग हेतु कंटेनरों के लिए चालक उपलब्ध कराने के लिए ठेकेदार "रॉसलाइन" को नियुक्त किया है, चालकों के लिए भुगतान की राशि आयातकों से ली जाएगी, सीमा शुल्क ब्रोकरों नहीं।

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के श्रीअब्राहम फिलिप ने अध्यक्ष को सूचित किया कि, उन्हें आर जे एल सी के साथ पहली बैठक के बाद इस मुद्दे के बारे में पता चला है। व्हाट्सएप पर प्रसारित मिनटों के अनुसार यह सूचित किया गया था कि सी सी बी ए, स्कैनिंग के लिए चालकों के पैनल के लिए रोजगार की व्यवस्था करने और उन्हें भुगतान करने के लिए सहमत है। तथापि, यदि सी सी बी ए की आर जे एल सी बैठक के आयोजन के संबंध में श्री एलन जोस का वर्तमान कथन सही है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि सी सी बी ए का प्रतिनिधित्व प्रकाश में नहीं आ सका। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि कंटेनर यार्ड के भीतर केवल एक विशिष्ट वाहन वाले चालकों को अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने अध्यक्ष से यह भी अनुरोध किया कि सीमाशुल्क को कुछ प्रेस विज्ञप्ति और नोटिस जारी करने की पहल करनी चाहिए और साथ ही मामले को आर जे एल सी के साथ उठाना चाहिए।

संयुक्त आयुक्त डॉ. जे. हरीश ने सदस्यों को सूचित किया कि सीमाशुल्क विभाग ने आई सी टी टी में स्थापित स्कैनर के सुरक्षा दिशानिर्देशों के बारे में पहले ही दो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी हैं।
अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि, सीमाशुल्क पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष के साथ मामला उठाएगा। चूंकि मुद्दा मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था की समस्या है जो पोर्ट ट्रस्ट से संबंधित है, इसलिए उन्हें इस मुद्दे में नेतृत्व करना होगा।

श्री राज विनोद पी, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, ने अध्यक्ष को सूचित किया कि सी सी बी ए और अन्य हितधारकों ने पहले ही इस संबंध में पोर्ट ट्रस्ट अध्यक्ष के साथ मुलाकात की थी और इस मामले को पहले ही उठाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वह बैठक में चर्चा के विषय से अध्यक्ष को अवगत कराएंगे और सीमा शुल्क और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय करेंगे।

अध्यक्ष ने डी पी वर्ल्ड के प्रतिनिधि श्री दिपिन से अनुरोध किया कि वे केवल चालकों को "पास" जारी करने तक सीमित रख कर स्कैनिंग क्षेत्र में अनधिकृत पहुंच के मुद्दे की जाँच करें। श्री दिपिन ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए प्रबंधन को सूचित किया जाएगा।

Minutes of discussion are as below:

The representatives of the Customs Brokers were requested to submit the gist of the issue to identify the problem and the role of Customs in the matter.

Shri Alan Jose submitted that the trade is facing problems in respect of movement of containers selected for scanning due to the interference from a section of people who were intimidating and threatening Drivers and other persons in respect of movement of Containers through the drive through scanner. These persons were inciting the drivers citing Health Hazards etc. He requested the Chair and the customs department to take an active role in the matter and resolve the issues.

Shri Abraham Phillip representing the Indian Chamber of Commerce also seconded the issues pointed out by the Customs Broker's Association. He also the requested chair to interfere in the issue and resolve the matter as it unnecessary creates a financial burden on the importers and also delay

The Chair assured the members that, the safety guidelines /approval for the scanner installed in ICTT can be published in bilingual or trilingual to clear the genuine doubts. The Chair has also informed the members that, he is aware of specification of the product and the likely impact of radiation on the people. The problems raised on the behalf of drivers like having nausea, vomiting seems unsubstantiated and unverified .The subject symptons appear to the individuals as the result of the long term effect of exposure to radiation.The Drive through Scanner which is installed in the Port has been certified as safe by AERC and other competent agencies.

Shri Alan Jose, CCBA, with the permission of Chair submitted that in the first meeting with RJLC it was decided that a specified amount would have to be paid by CFS to the Drivers of the Panel who would be employed in moving the Containers for Scanning.It was stated that the CCBA did not receive minutes of the said meeting. In the third meeting with RJLC it was informed that M/s GDKL CFS and M/s MIV CFS have appointed the contractor "Rossline" for providing the Drivers for the containers for Scanning,the amount towards payment for the Drivers would be collected from the importers and not the Customs Brokers.Shri Alan Jose informed the chair that the amount of Rs 300/200 was fixed unilaterally by the RJLC based on the contract between GDKL and Rossline .He further informed that their organization was against the payment of any amount.

Shri. Abraham Phillip, Indian Chamber of Commerce & Industry, informed the Chair that, they had become aware of the issue after the first meeting with the RJLC. As per the minutes circulated on the Whatsapp it was informed that the CCBA agreed to the arrangement of employment of Panel of Drivers for Scanning and the payment to them. However if the present statement by Shri Alan Jose, CCBA with regard to the conduct of the RJLC meeting is correct then it appears representation of CCBA went unrecorded. He further requested that only the drivers with a specific vehicle should be allowed inside the container yard. He also requested the Chair that customs should take some initiative to issue some press release and notices and also to take up the matter with the RJLC.

Dr. J. Harish, Joint Commissioner, informed the members that the Customs Department had already issued two press releases regarding the safety guidelines of Scanner installed in ICTT.

The Chair informed the members that, Customs will take up the matter with the Chair Person of Port Trust. Since the issue is essentially a law and order problem which pertains to Port Trust so they will have to lead the issue.

Shri. Raj Vinod P, Cochin Port Trust, informed the Chair that the CCBA and other Stakeholders had already met with the Port Trust Chair Person in this regard and the matter has already been taken up. He stated that he will convey the matter of discussion in the meeting to the Chair Person and shall coordinate with Customs and other stake holders

The Chair also requested the representative of the DP World, Shri Dipin to look into the issue of unauthorized access to the Scanning Area by restricting the issue of "Pass" to the Drivers. Shri Dipin assured that the matter would be conveyed to the management for an effective handling of the issue

बिंदु 2. <u>सार्वजनिक सूचना सं: 39/2018 DTD 26/11/2018 " के उपखंड7.4 के संशोधन का अनुरोध</u>.4

व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए और ड्वेल टाईम को कम करने के लिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पैरा 7.4 में कहे अनुसार पुनः बिल ऑफ एंट्री करने से बचने और आर एम एस के अंतर्गत बिना परीक्षण किए बी ओ ई की सुविधा प्रदान करने की उल्लिखित सार्वजनिक सूचना की पैरा संख्या 6. की प्रक्रिया को अपनाएं।

केवल यदि कोई भी संदिग्ध वस्तु सी एफ एस पर जांच में पाया जाता है, तो ही बी ओ ई को पुनर्मूल्यांकन या आगे की जांच के लिए वापस बुलाया जाएं।

Point 2. <u>REQUESTING AMENDMENT OF CLAUSE 7.4 OF PUBLIC NOTICE NO: 39/2018 DTD 26/11/2018 "</u>

In order to facilitate ease of doing business and to reduce the dwell time, we request you to adopt the procedure laid down in .Para number 6 of the above PN for BOEs facilitated under RMS without examination and avoid recalling the Bill of Entry as mentioned in Para 7.4.

Only if any suspicious item is found on examination at the CFS, may the BOE be recalled for re-assessment or further investigation.

<u>चर्चा नीचे के रूप में की गई है :</u>

श्री एलन जोस सी सी बी ए ने बताया कि ऊपर बताए गए कारणों से बी ई के प्रत्यावहन (रिकॉल) की संदिग्ध पाई गई प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जाए।

अध्यक्ष ने हितधारकों को सूचित किया कि, वर्तमान में बी ई के प्रत्यावहन के बिना सामानों की जांच का प्रावधान संभव नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि आई सी ई एस प्रणाली में कोई सबूत नहीं हैं जो कंटेनरों के खोलने और कार्गो की जांच को दर्ज करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि बी ई के प्रत्यावहन के साथ विलंब और प्रक्रिया संबंधी मुद्दों को कम करने के लिए वह अन्य सीमाशुल्क गृहों में प्रणालियों की जांच करेंगे और सिस्टम निदेशालय को भी विश्वास में लेंगे।

(कार्रवाई हेतु: संयुक्त निदेशक श्री जे. हरीश., मुद्दें की अन्य आयुक्तालयों तथा सिस्टम निदेशालय के साथ समन्वय करने हेतु)

<u>Minutes of discussion are as below:</u>

Shri Alan Jose CCBA informed that the procedure for recall of BEs which are found to be suspicious may be relooked for the reasons mentioned above.

The Chair has informed the stakeholders that, at present practice the provision for examination of the goods without recalling the BE is not feasible, as this would mean that there are no evidence in the ICES system recording the opening of the containers and examination of the cargo. He assured that he would check the practices at other Custom Houses and also take into confidence the System Directorate, for reducing the delay and procedural issues concern with the recall of BE.

(For action: Joint Commissioner Shri. J. Harish, to coordinate the issue with other Commissionerate and system Directorate)

<u>बिंदु 3. आर एम एस तथा डी पी डी आयात निकासी ओ ओ सी</u>

आर एम एस सुविधा वाले बी ओ ई तथा स्कैनिंग के बिना डी पी डी कंटेनरों के मामलों में सीमशुल्क ब्रोकर को बी ओ ई को प्रिंट करना होगा और कोचीन पोर्ट सी एफ एस 010 से ओ ओ सी प्राप्त करना होगा जो कि विलिंगडन आईलैण्ड में है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस मामले को देखें और इस तरह के बी ओ ई प्रिंट करने की व्यवस्था करें और व्यापार को सुगम बनाने, लेन-देन की लागत मूल्य और ड्वेल टाईम को कम करने के लिए आई सी टी टी से ही ओ ओ सी प्राप्त करने की व्यवस्था करें।

<u>Point 3. RMS AND DPD IMPORT CLEARANCE OOC</u>

In the case of RMS facilitated Bills of Entry and DPD containers without scanning, the Customs Broker has to print the BOE and obtain the OOC from Cochin Port CFS 010 which is in Willingdon Island. We request you to please look into this matter and make arrangements to print such BOEs and obtain OOC from ICTT itself in order to facilitate the trade, reduce the transaction cost and dwell time.

<u>चर्चा नीचे के रूप में की गई है :</u>

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि, वे इस मामले की व्यवहार्यता को देखेंगे और ई डी आई सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता और साथ ही सक्षम अधिकारियों की उपलब्धता का पता लगाने की कोशिश करेंगे।

तत्पश्चात, मूल्य निरूपक अधिकारी (सी सी यू) ने सदस्यों को सूचित किया कि, सी सी पी, कोचीन से कुछ बिंदु प्राप्त हुए हैं। ये बिंदु सीमाशुल्क गृह से संबंधित हैं, जो17/07/2019 को सी सी पी में आयोजित पी टी एफ सी की बैठक में उठाए गए थे। इन्हें नीचे प्रस्तुत किया जाता है:

Minutes of discussion are as below:

The Chair has informed the members that, he would look into the feasibility of the matter and try to find out, the requirement of the EDI system hardware and Software and as well as availability of the competent officers.

Thereafter, AO (CCU) has informed the members that, some points have been received from CCP, Cochin.These points which pertained to Custom House were raised in PTFC meeting held on 17/07/2019 at CCP. The same were read out as below:

स्टीमर एजेंट असोसिएशन के द्वारा उठाए गए मुद्दें:
Points raised by The steamer agents association are:

"Filing the Export Container Documentation BCG during weekends"

चर्चा नीचे के रूप में की गई है :

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया कि, निर्यात तटीय कंटेनर प्रलेखन बीसीजी का पंजीकरण सीमाशुल्क गृह के निवारक अनुभाग में किया जाता है। सप्ताहांत / छुट्टियों पर नियंत्रण कक्ष अधिकारी निर्यात तटीय कंटेनर प्रलेखन बी सी जी प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है और बी सी जी प्राप्त होने पर अधिकारी निवारक अनुभाग में बनाए कंटेनर रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करता है। नियंत्रण कक्ष अधिकारी सप्ताहांत / छुट्टियों सहित सभी दिनों पर उपलब्ध है, स्टीमर एजेंटों एसोसिएशन द्वारा उठाए गए बिंदु जो वे सप्ताहांत पर बी सी जी दाखिल करने में सक्षम नहीं हैं, वह सही नहीं प्रतीत होता है।

अध्यक्ष ने कहा कि स्टीमर एजेंट्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि इस बैठक के लिए नहीं आए हैं अतः यह मुद्दा नहीं उठाया गया है ।

(कार्रवाई: मुद्दा निरस्त)

Minutes of discussion are as below:

The Chair informed the members that, the registration of export coastal container documentation BCG is done in the Preventive Section of the Custom House. On weekends / holidays the control room officer is authorised to receive the export coastal container documentation BCG and on receipt of the BCG the officer makes necessary entry in the container register maintained in the Preventive section. The Control Room officer is available on all days including weekends /holidays, the point raised by the steamer agents association that they are not able to file BCG on weekends is does not appear to be correct.

The Chair stated since the representative from the steamer agents association has not turned up for this meeting the issue appears not pressed

(For Action: Point dropped)

पी टी एफ सी बैठक में केरला लघु उद्योग संघ द्वारा उठाए गए मुद्दें:

Points raised by Kerala Small Scale Industries Association in PTFC Meeting:

कोचीन वायु और समुद्री बंदरगाह के माध्यम से निर्यात और आयात करते हुए एम एस एम ई श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के निर्यातकों और आयातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। आभूषणों के निर्यातकों को एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, नेडुंबेश्शेरी के माध्यम से समस्याएं झेलनी पड़ी।

The problems faced by the exporters and importers of MSME category industrial units undertaking export and import through Cochin air and sea port. The problems faced by the exporters of Jewellery through Air cargo complex, Nedumbassery.

चर्चा नीचे के रूप में की गई है :

अध्यक्ष ने सदस्यों को सूचित किया, क्योंकि एसोसिएशन के प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं है और चूंकि विषय कुछ विशिष्ट मुद्दों जैसे कि सोने के नमूने आदि से संबंधित है, इसलिए प्रस्तावक की उपस्थिति के बिना मामले की चर्चा उपयोगी नहीं होगी।

(कार्रवाई: मुद्दा निरस्त)

Minutes of discussion are as below:

The Chair informed the members, as the representative of the Association has not turned up for meeting and since the subject matter pertains to some specific issues like sampling of gold etc. so the discussion of the matter without the presence of the proposer, it would not be fruitful.

(For Action: Point dropped)

चूंकि चर्चा के लिए सदस्यों द्वारा और कोई मुद्दा नहीं उठाया गया अध्यक्ष ने सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की समाप्ति की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति की अगली बैठक की सूचना सीमाशुल्क गृह के वेबसाईट www.cochincustoms.nic.in. द्वारा दी जाएगी। यदि चर्चा के लिए कोई मुद्दे हो तो उन्हें भेजा जा सकता है। पूछताछ, यदि कोई हो तो उसे दूरभाष संख्या 0484-2667040 पर या ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com इस ई -मेल पते पर की जा सकती है।

Since no other points were raised by the members for discussion, the Chair declared the meeting closed by thanking the members. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com.

This is issued with the approval of Commissioner of Customs (Chairman PTFC)

Sd/-

(Dr. J Harish)
संयुक्त आयुक्त, Joint Commissioner

F.No.S.65/17/2018-CCU-CUS
दिनांक Dated: 17.09.2019

//Attested//

(Baiju Daniel)
Appraising Officer

को प्रस्तुत Submitted to:

1. The Principal Chief Commissioner of Central Excise, Central Tax & Customs, Kerala Zone, Cochin.

2. The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building, Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि:सभी संयुक्त आयुक्त/सभी उप आयुक्त/सहायक आयुक्त/ पी टी एफ सी के सभी सदस्य
Copy to: Joint Commissioners/ All D.Cs & A.Cs/ All members of PTFC
ई डी आई अनुभाग (सीमाशुल्क की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु)EDI (for uploading on customs website)

DESPATCHED
26/9/19
11 a.m.